

भारत सरकार
ग्रामीण विकास मंत्रालय
ग्रामीण विकास विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1365
(11 फरवरी, 2025 को उत्तर दिए जाने के लिए)

ग्रामीण विकास के लिए निधि

1365. श्री प्रवीण पटेल:

श्रीमती स्मिता उदय वाघ:
श्री योगेन्द्र चांदोलिया:
श्री धर्मबीर सिंह:
श्री नव चरण माझी:

क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) बैठक के दौरान चर्चा की गई योजनाओं के माध्यम से सरकार विभिन्न राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के ग्रामीण क्षेत्रों, विशेषकर महाराष्ट्र और जलगांव लोक सभा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र की विशिष्ट आवश्यकताओं को किस प्रकार पूरा करने की योजना बना रही है;
- (ख) क्या देश में महाराष्ट्र और जलगांव सहित ग्रामीण विकास के लिए नई योजनाओं को लागू करने की कोई योजना है, यदि हां, तो ऐसी योजनाओं का ब्यौरा क्या है;
- (ग) क्या सरकार ने ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के लिए राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को निधि आबंटन के लिए कोई कदम उठाए हैं;
- (घ) यदि हां, तो इस संबंध में महाराष्ट्र और जलगांव सहित राज्यवार और संघ राज्य क्षेत्रवार दी गई कुल धनराशि क्या है; और
- (ङ) इस संबंध में और अधिक धन आबंटन के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

ग्रामीण विकास राज्य मंत्री
(श्री कमलेश पासवान)

(क) और (ख): ग्रामीण विकास मंत्रालय (एमओआरडी) ने अपने कार्यक्रमों के माध्यम से आजीविका के अवसरों को बढ़ाने, ग्रामीण महिलाओं को सशक्त बनाने, ग्रामीण युवाओं को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने, बुनियादी ढांचे के विकास आदि पर मुख्य ध्यान देते हुए जलगांव लोकसभा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र सहित ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों के आर्थिक कल्याण के लिए बहु-आयामी कार्यनीतियों को अपनाया है। इस संबंध में, सरकार महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (महात्मा गांधी नरेगा योजना), प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (पीएमएवाई-जी), प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई), दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (डीएवाई-

एनआरएलएम), दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना (डीडीयू-जीकेवाई) , ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान (आरएसईटीआई) तथा राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (एनएसएपी) और प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का वाटरशेड विकास घटक (डब्ल्यूडीसी-पीएमकेएसवाई) जैसे कई लक्षित कार्यक्रमों का कार्यान्वयन कर रही है। वर्तमान में महाराष्ट्र और जलगांव सहित देश में ग्रामीण विकास के लिए नई योजनाएं शुरू करने की कोई योजना नहीं है।

(ग) से (ड): राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को निधियां जारी करना एक सतत प्रक्रिया है। राज्यों के पास उपलब्ध शेष निधियों को ध्यान में रखते हुए , योजना की अपेक्षाओं के अनुसार अपेक्षित दस्तावेज/उपयोग प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने, योजनाओं के अंतर्गत पहले से आवंटित निधियों का उचित उपयोग सुनिश्चित करने और योजना के दिशानिर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने तथा जमीनी स्तर पर वास्तविक आवश्यकता का आकलन करने के पश्चात राज्य सरकारों को निधियां जारी की जाती हैं। इन योजनाओं/कार्यक्रमों के अंतर्गत प्रदान की गई निधियों का योजना-वार और राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा **अनुबंध** में दिया गया है।

अनुबंध

"ग्रामीण विकास के लिए निधियां" के संबंध में लोक सभा में दिनांक 11.02.2025 को उत्तर दिए जाने के लिए नियत अतारांकित प्रश्न संख्या 1365 के भाग (ग) से (ड .) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

ग्रामीण विकास मंत्रालय की विभिन्न योजनाओं/कार्यक्रमों के अंतर्गत स्वीकृत निधियों का योजना-वार और राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा

1. महात्मा गांधी नरेगा योजना योजना

वर्तमान वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान (03.02.2025 की स्थिति के अनुसार)महात्मा गांधी नरेगा के तहत जारी की गई निधियों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा		
(रुपए करोड़ में)		
क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	जारी निधियां
1	आंध्र प्रदेश	7471.65
2	अरुणाचल प्रदेश	525.18
3	असम	1870.88
4	बिहार	6723.31
5	छत्तीसगढ़	3266.51
6	गोवा	3.17
7	गुजरात	1389.36
8	हरियाणा	581.56
9	हिमाचल प्रदेश	1200.45
10	जम्मू और कश्मीर	1126.90
11	झारखंड	2347.04
12	कर्नाटक	5322.39
13	केरल	3034.24
14	लद्दाख	72.77
15	मध्य प्रदेश	5656.80
16	महाराष्ट्र	4318.79
17	मणिपुर	568.94
18	मेघालय	1016.97
19	मिजोरम	549.39
20	नागालैंड	260.57
21	ओडिशा	3436.73
22	पंजाब	1254.47

23	राजस्थान	7555.81
24	सिक्किम	95.13
25	तमिलनाडु	7267.17
26	तेलंगाना	3784.15
27	त्रिपुरा	951.07
28	उत्तर प्रदेश	9594.89
29	उत्तराखंड	585.01
30	पश्चिम बंगाल	0.00
31	अंडमान और निकोबार	3.77
32	लक्षद्वीप	0.32
33	पुदुचेरी	39.99
34	दादरा और नगर हवेली	7.52
	कुल	81,882.91

टिप्पणी: महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005 की धारा 27 के प्रावधानों के अनुसार, केंद्र सरकार के निर्देशों का पालन न करने के कारण दिनांक 09 मार्च, 2022 से पश्चिम बंगाल राज्य को निधियों का आवंटन बंद कर दिया गया है।

2. प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (पीएमएवाई-जी)

(रुपये करोड़ में)

पिछले पांच वर्षों और चालू वर्ष के दौरान राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा जारी और उपयोग किए गए केंद्रीय अंश का राज्य वार ब्यौरा

क्र. सं.	राज्य का नाम	पिछले 5 वर्ष यानि 2019-20 से 2023-24		2024-25	
		केंद्रीय अंश जारी	राज्य द्वारा उपयोग*	केंद्रीय अंश जारी	राज्य द्वारा उपयोग*
1	अरुणाचल प्रदेश	375.04	390.18	0	31.44
2	असम	20784.71	22781.54	2795.7747	2505.91
3	बिहार	22195.99	37041.02	14.92	2354.53
4	छत्तीसगढ़	2944.66	5029.11	3240.4269	4444.65
5	गोवा	0.00	2.76	0	0.02
6	गुजरात	2736.63	4732.36	710.2805	953.85

7	हरियाणा	82.11	188.67	0	8.82
8	हिमाचल प्रदेश	180.91	204.18	582.455	577.77
9	जम्मू और कश्मीर	3253.24	3313.42	96.2925	536.85
10	झारखंड	8263.29	14035.34	187.79	264.38
11	केरल	72.40	221.21	66.02	93.58
12	मध्य प्रदेश	17983.90	28721.46	3726.1015	2218.92
13	महाराष्ट्र	6836.51	11280.49	1166.2552	1551.08
14	मणिपुर	493.79	419.29	0	138.07
15	मेघालय	2001.51	1902.65	0	228.73
16	मिजोरम	245.55	247.28	0	55.61
17	नागालैंड	421.47	389.06	27.4525	122.58
18	ओडिशा	12065.06	19093.60	784.7475	2394.78
19	पंजाब	171.84	304.86	117.13	99.56
20	राजस्थान	7672.48	12633.52	372.225	785.74
21	सिक्किम	3.77	4.49	0	0.53
22	तमिलनाडु	3527.69	5604.43	125.52	238.01
23	त्रिपुरा	4252.72	4409.73	204.11	137.43
24	उत्तर प्रदेश	17101.50	28399.88	130.06	704.65
25	उत्तराखंड	665.45	671.79	11.81	71.11
26	पश्चिम बंगाल	15474.38	25503.74	0	27.69
27	अंडमान और निकोबार	22.33	14.13	0	1.81
28	दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव	55.98	109.58	16.1225	18.73

29	लक्षद्वीप	0.00	0.36	0	0.00
30	पुदुचेरी**	0.00	0.00	0	0.00
31	आंध्र प्रदेश	312.25	591.31		75.79
32	कर्नाटक	528.13	468.67	414.035	385.89
33	तेलंगाना	0.00	0.00	0	0.00
34	लद्दाख	21.99	20.53	0	0.08
	कुल	150747.27	228730.67	14789.53	21028.60
*उपयोगिता में राज्य का हिस्सा भी शामिल है।					
**पुदुचेरी इस योजना को क्रियान्वित नहीं कर रहा है।					

3. प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई)

पिछले पांच वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान पीएमजीएसवाई के अंतर्गत जारी केंद्रीय अंश का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र वार ब्यौरा						
क्र. सं.	राज्य	जारी राशि (करोड़ रुपए में)				
		2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25 दिनांक 06.02.2025 की स्थिति के अनुसार
1	अंडमान और निकोबार	0.00	9.22	12.22	12.22	0
2	आंध्र प्रदेश	53.20	50.00	644.13	140.64	134.41
3	अरुणाचल प्रदेश	952.31	1090.60	1018.74	339.90	350
4	असम	2516.62	1591.50	664.91	391.29	1.83
5	बिहार	49.13	375.00	1443.23	963.37	894.78
6	छत्तीसगढ़	924.48	394.41	995.87	401.77	100.29
7	गोवा	0.00	0.00	0.00	0.00	0
8	गुजरात	79.08	195.50	266.63	298.41	73.31
9	हरियाणा	0.00	353.23	168.25	74.01	0.38
10	हिमाचल प्रदेश	745.24	517.45	624.76	617.56	325.5
11	जम्मू एवं कश्मीर	1727.30	1328.34	717.00	1304.17	685.5
12	झारखंड	293.50	0.00	332.63	752.80	498.62

13	कर्नाटक	49.29	704.25	720.47	72.25	50
14	केरल	89.97	0.00	106.76	54.25	119.74
15	मध्य प्रदेश	1099.54	1392.25	1557.47	599.42	361.29
16	महाराष्ट्र	0.00	0.00	743.00	1110.80	429.71
17	मणिपुर	420.66	742.00	744.98	161.29	0
18	मेघालय	355.29	483.92	405.89	122.59	122.19
19	मिजोरम	1.59	74.34	584.20	141.37	0
20	नागालैंड	72.89	145.31	183.15	161.29	2.25
21	ओडिशा	774.29	404.12	1235.88	1262.55	479.89
22	पुदुचेरी	0.00	11.66	24.72	0.27	222.12
23	पंजाब	0.00	68.59	231.06	265.10	0
24	राजस्थान	237.15	917.51	199.90	404.79	352.87
25	सिक्किम	195.50	107.28	263.33	94.37	70
26	तमिलनाडु	265.38	440.00	613.70	411.36	199.66
27	त्रिपुरा	69.57	73.88	267.59	185.03	14.66
28	तेलंगाना	0.00	86.38	321.43	296.9625	26.13
29	उत्तर प्रदेश	123.90	1418.55	2068.57	2679.63	1453.78
30	उत्तराखंड	1536.27	787.00	1297.16	551.05	521.75
31	पश्चिम बंगाल	969.31	49.94	381.03	99.275	112.5
32	लद्दाख	50.00	140.79	109.97	37.50	73.31
कुल		13651.46	13952.99	18948.61	14007.29	7676.47

4. दीनदयाल अंत्योदय योजना - राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (डीएवाई एनआरएलएम)

(रु. करोड़ में)

पिछले तीन वर्षों के दौरान डीएवाई-एनआरएलएम के अंतर्गत राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार निधियों का आवंटन					
क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2021-22	2022-23	2023-24	
1	आंध्र प्रदेश	251.67	251.73	251.73	
2	बिहार	1026.33	1026.58	1026.58	
3	छत्तीसगढ़	227.95	228.01	228.01	
4	गोवा	7.00	7.50	7.50	
5	गुजरात	162.40	162.44	162.44	
6	हरियाणा	95.54	95.57	95.57	

7	हिमाचल प्रदेश	40.24	40.25	40.25
8	जम्मू एवं कश्मीर	146.69	180.17	180.00
9	झारखंड	386.99	387.08	387.08
10	कर्नाटक	325.79	325.87	325.87
11	केरल	146.18	146.22	146.22
12	मध्य प्रदेश	488.34	488.46	488.46
13	महाराष्ट्र	516.19	644.01	644.17
14	ओडिशा	493.47	493.59	493.59
15	पंजाब	46.43	46.44	46.44
16	राजस्थान	247.38	247.45	247.45
17	तमिलनाडु	381.48	381.57	381.57
18	तेलंगाना	179.76	179.81	179.81
19	उत्तर प्रदेश	1477.58	1477.94	1477.94
20	उत्तराखंड	77.80	77.81	77.81
21	पश्चिम बंगाल	548.39	548.53	548.53
22	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	6.00	9.00	6.00
23	दमन और दीव तथा दादरा एवं नगर हवेली	4.00	6.00	4.50
24	लक्षद्वीप	2.00	2.39	3.00
25	लद्दाख	13.20	13.19	10.00
26	पुदुचेरी	10.00	17.00	17.00
27	अरुणाचल प्रदेश	82.89	132.26	127.76
28	असम	342.99	381.36	398.43
29	मणिपुर	102.74	125.38	105.23
30	मेघालय	143.75	169.28	199.76
31	मिजोरम	105.41	156.72	163.96
32	नागालैंड	171.18	177.94	164.28
33	सिक्किम	44.32	66.49	73.32
34	त्रिपुरा	173.64	241.62	305.35
	कुल	8475.72	8935.66	9015.60

5. दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना (डीडीयू-जीकेवाई)

(लाख रुपए में)

2014-15 से जनवरी 2025 तक डीडीयू-जीकेवाई के अंतर्गत जारी राज्यवार धनराशि		
क्र. सं.	राज्य	2014-15 से जनवरी 2025 तक जारी निधि

1	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	801.00
2	आंध्र प्रदेश	33063.79
3	अरुणाचल प्रदेश	3147.06
4	असम	43166.83
5	बिहार	36708.00
6	छत्तीसगढ़	23988.61
7	गोवा	60.00
8	गुजरात	10125.70
9	हरियाणा	10335.76
10	हिमाचल प्रदेश	13767.89
11	जम्मू एवं कश्मीर	46910.48
12	झारखंड	26495.88
13	कर्नाटक	15854.23
14	केरल	38842.06
15	मध्य प्रदेश	32330.43
16	महाराष्ट्र	36856.73
17	मणिपुर	7186.94
18	मेघालय	7114.01
19	मिजोरम	2681.59
20	नागालैंड	7706.01
21	ओडिशा	66270.82
22	पुद्दुचेरी	1634.18
23	पंजाब	17435.14
24	राजस्थान	20396.81
25	सिक्किम	3117.18
26	तमिलनाडु	26769.11
27	तेलंगाना	32074.20
28	त्रिपुरा	8519.49
29	उत्तर प्रदेश	73527.44
30	उत्तराखंड	18788.13
31	पश्चिम बंगाल	25323.30
	कुल	690998.78

स्रोत: ग्रामीण कौशल प्रभाग रिकॉर्ड (डीडीयू-जीकेवाई)

6. ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान (आरएसईटीआई)

(रुपए लाख में)

वर्ष 2014-15 से जनवरी 2025 तक आरएसईटीआई के अंतर्गत जारी राज्यवार निधि		
क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2014-15 से जनवरी 2025 तक जारी धनराशि
1	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	22.21
2	आंध्र प्रदेश	4648.00
3	अरुणाचल प्रदेश	50.00
4	असम	3800.35
5	बिहार	7382.15
6	छत्तीसगढ़	5224.07
7	दादर एवं नगर हवेली	95.24
8	गुजरात	5580.70
9	हरियाणा	2371.26
10	हिमाचल प्रदेश	560.23
11	जम्मू एवं कश्मीर	842.61
12	झारखंड	6180.09
13	कर्नाटक	8208.98
14	केरल	1925.61
15	लक्षद्वीप	0.00
16	मध्य प्रदेश	12570.50
17	महाराष्ट्र	9186.90
18	मणिपुर	178.05
19	मेघालय	558.85
20	मिजोरम	125.94
21	नागालैंड	174.59
22	ओडिशा	7788.70
23	पुदुचेरी	24.39
24	पंजाब	3205.21
25	राजस्थान	5095.43
26	सिक्किम	59.02
27	तमिलनाडु	6527.05
28	तेलंगाना	2528.94
29	त्रिपुरा	538.08
30	उत्तर प्रदेश	7445.16
31	उत्तराखंड	1102.56

32	पश्चिम बंगाल	1832.51
	कुल	105833.38

स्रोत: ग्रामीण कौशल प्रभाग रिकॉर्ड (आरएसईटीआई)

7. राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (एनएसएपी)

(रु. करोड़ में)

पिछले पांच वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान 06.02.2025 तक एनएसएपी के तहत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को जारी निधियां							
क्र. सं.	राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25
1.	आंध्र प्रदेश	317.77	309.36	233.49	317.34	407.41	265.86
2.	बिहार	1229.68	1247.84	1278.28	1288.3	1473.1	1113.26
3.	छत्तीसगढ़	289.86	157.9	277.67	299.61	277.55	298.15
4.	गोवा	0	0	0	0	0	0
5.	गुजरात	210.8	273.56	187.57	198.6	207.11	151.76
6.	हरियाणा	122.74	46.17	0	250.2	0	0
7.	हिमाचल प्रदेश	45.72	47.39	12.3	35.86	90.19	0
8.	जम्मू एवं कश्मीर	23.81	24.57	37.76	21.12	80	17.73
9.	झारखंड	271.61	289.03	471.74	341.66	276.59	233.86
10.	कर्नाटक	520.47	525.23	494.17	435.35	450.53	0
11.	केरल	112.83	288.59	0	0	602.14	131.24
12.	मध्य प्रदेश	575.55	706.62	600.61	1010.39	827.91	875.66
13.	महाराष्ट्र	335.3	341.01	295.87	171.15	0	450.38
14.	ओडिशा	655.7	621.7	653.64	680.58	685.48	260.84
15.	पंजाब	32.86	47.38	11.14	0	15.42	22.89
16.	राजस्थान	311.42	329.29	93.78	536.09	305.2	504.11
17.	तमिलनाडु	578.09	327.22	841.93	476.8	675.96	485.84
18.	तेलंगाना	105.47	323.68	107.52	216.45	166.67	0
19.	उत्तर प्रदेश	1543.63	1545.74	1617.42	1835.18	1393.01	1939.35
20.	उत्तराखंड	50.56	113.54	51.09	12.94	89.14	85.96
21.	पश्चिम बंगाल	855.96	651.71	461.19	622.56	1003.19	597.3
22.	अरुणाचल प्रदेश	0	0	0	0	9.05	0
23.	असम	290.88	303.41	296.22	309.55	289.82	222.95
24.	मणिपुर	19.14	31.63	5.23	27.29	16.36	21.93
25.	मेघालय	13.87	20.7	11.13	21.13	21.68	16.48
26.	मिजोरम	10.53	10.62	5.35	10.67	10.62	10.88

27.	नागालैंड	20.93	21.31	15.95	12.95	17.15	24.48
28.	सिक्किम	5.81	9.32	0	8.15	0	0
29.	त्रिपुरा	67.78	13.88	28.19	30.03	44	33.27
30.	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	0	1.11	0	0	0	0
31.	चंडीगढ़	0	0	0	0	0	0
32.	दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव	0	0	0	0	0	0
33.	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	52.71	29.4	56.65	0	0	71.01
34.	लद्दाख	0.95	0.2	0.33	3.68	0	3.48
35.	लक्षद्वीप	0	0	0	0	0	0
36.	पुदुचेरी	12.27	11.47	5.99	0	0	0
	कुल	8684.18	8671.52	8152.23	9173.62	9435.23	7838.66

8. वाटरशेड विकास घटक-प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (डब्ल्यूडीसी-पीएमकेएसवाई)

(₹. करोड़ में)

डब्ल्यूडीसी-पीएमकेएसवाई 2.0 के तहत जारी केंद्रीय अंश का ब्यौरा (2021-22 से 2024-25 तक, दिनांक 31.01.2025 की स्थिति के अनुसार)		
क्र. सं.	राज्य	जारी किया गया केंद्रीय अंश (2021-22 से 2024-25 तक) दिनांक 31.01.2025 की स्थिति के अनुसार
1	आंध्र प्रदेश	137.09
2	अरुणाचल प्रदेश	254.92
3	असम	178.50
4	बिहार	154.95
5	छत्तीसगढ़	198.30
6	गोवा	6.57
7	गुजरात	250.47
8	हरियाणा	19.30
9	हिमाचल प्रदेश	55.77
10	झारखंड	132.46
11	कर्नाटक	348.79
12	केरल	30.16

13	मध्य प्रदेश	483.16
14	महाराष्ट्र	408.97
15	मणिपुर	34.53
16	मेघालय	109.41
17	मिजोरम	79.86
18	नागालैंड	66.58
19	ओडिशा	346.40
20	पंजाब	15.36
21	राजस्थान	531.80
22	सिक्किम	30.00
23	तमिलनाडु	157.27
24	तेलंगाना	86.95
25	त्रिपुरा	55.80
26	उत्तर प्रदेश	135.30
27	उत्तराखंड	91.29
28	पश्चिम बंगाल	112.31
29	संघ राज्य क्षेत्र जम्मू-कश्मीर	85.19
30	संघ राज्य क्षेत्र लद्दाख	18.84
	कुल	4616.29
